भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BD 132254

शपथ पत्र / बन्ध पत्र का (AFFIDAVIT/BOND) प्रारूप

मै नसीर खां पुत्र श्री पीराणे खां धारित पद अध्यक्ष उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम चौधरिया तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि :–

1– मेरी संस्था का नाम ख्वाजा गरीब नवाज समिति गौशाला, चौधरिया जिला जैसलमेर है। इस संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 02 / जैसल / 2011–12 दिनांक 13.04.2011 तथा राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयन कमांक 1523 / 2015 दिनांक 17.07.2015 है।

2– मेरी गौशाला / कांजी हाउस के संचालन का स्थान ग्राम चौधरिया तहसील व जिला जैसलमेर है।

3– मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये 510 बड़ी 150 छोटे कुल 510 पशु संधारित हैं।

4– मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर / राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर / चारा डिपो का आकस्मिक निरीक्षण / विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।

5– मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकस्मिक निरीक्षण / विडियों ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी / अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

6– मैं पशु शिविर / चारा डिपो की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की पूर्णतः पालना करूंगा।

7– जिले द्वारा समय–समय पर दी गई सभी शर्तो का मैं पालना करूंगा।

SIGNATURE/ASSESTED
Keshar Singh Bhati
Notary Public Jaisalmer

नसीर खां
अध्यक्ष
ख्वाजा गरीब नवाज समिति गौशाला
शपथग्रहिता

मै नसीर खां पुत्र श्री पीराणे खां धारित पद अध्यक्ष उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम चौधरिया तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।

नसीर खां
अध्यक्ष
ख्वाजा गरीब नवाज समिति गौशाला चौधरिया
शपथग्रहिता

Government of Rajasthan
NOTARY
R. No. 1872
KESHAR SINGH

SIGNATURE/ASSESTED
Keshar Singh Bhati
Notary Public Jaisalmer
18/3

पंजीयन क्रमांक 1523
दिनांक 17.07.2015
डिस्पेच नं. 830
दिनांक 17.07.2015

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री ख्वाजा गरीब नवाज समिति
ग्राम चौधरिया पोस्ट काठोड़ी
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री श्री नसीर खॉं — अध्यक्ष — न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला श्री ख्वाजा गरीब नवाज समिति — ने राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ। आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अत: मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक सत्रह माह जुलाई वर्ष दो हजार पन्द्रह

रजिस्ट्रार गौशालाएँ एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक:..........02/जैसल/2011-2012

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस्लामिआ गरीब नवाज समिति पोखरिया जिला जैसलमेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक....तेरह....माह....अप्रैल....सन् दो हजार ग्यारह को जैसलमेर में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर